श्री डॉ० अजय कुमार सिंह, मा०स०वि०प० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 1/212/950 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	सरकार का उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना में लाभार्थियों को प्रशिक्षण हेतु दो अलग–अलग पोर्टलों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें सर्वप्रथम लाभार्थियों की प्रविष्टि (BSMFCL) के पोर्टल पर की जाती है, तत्पश्चात जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा लाभार्थियों की काउंसलिंग कराई जाती है, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को पुनः (BSDM) के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है।	अस्वीकारात्मक। BSMFCL पोर्टल आवेदकों को सतत् आवेदन ऑनलाईन करने की केवल सुगमता एवं सुविधा प्रदान करता है। जिसके लिए आवेदकों को पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आवेदन, चयन, प्रशिक्षण के किसी भी स्तर पर पुनरावृति अथवा दोहराव से नहीं गुजरना पड़ता है। अतः यह प्रक्रिया पूर्णतः प्रमाणित और पारदर्शी है।
(ख)	क्या यह सही है कि वर्तमान में अन्य विभागों में कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों को केवल एक ही पोर्टल (BSDM) के माध्यम से आवेदन, चयन एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
(ग)	क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना में अन्य विभागों की भांति दोहरे पोर्टल की व्यवस्था को समाप्त कर, लाभार्थियों के पंजीकरण, चयन एवं प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया (BSDM) पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाय।	अस्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना है जिसकी मार्गनिर्देशिका की कंडिका – 5.3 एवं 5.4 के आधार पर आवेदन प्राप्ति एवं उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा उपस्थित एवं योग्य उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने का कार्य किया जाता है।

(घ)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन एवं प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को केवल (BSDM) पोर्टल के माध्यम से संचालित करना चाहती है यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होते है, समिति द्वारा मूल दस्तावेजों से मिलान के उपरान्त मेधा सूची तैयार की जाती है। मेधा सूची उपलब्ध होने के उपरान्त ट्रेनिंग पार्टनर BSDM पोर्टल पर बैच का निर्माण करते हैं। इसके उपरान्त BSDM के Process & Cost Norms की सभी कंडिकाओं का अनुपालन किया जाता है। इस प्रक्रिया से Duplicacy एवं Document Tampering की समस्या का समाधान किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक– अ०स०क०–09–09–वि०प०–74 / 2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को श्री डॉ० अजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 / 212 / 950 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 /–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–09–09–वि०प०–74 / 2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 /–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–09–09–वि०प०–74 / 2026 ..751.. पटना, दिनांक 16/02/26

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक निदेशक (विधायी कार्य) / आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/2/26

सरकार के अपर सचिव